

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.8(16)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

2014  
23/9/25  
2019/24

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 63/2025-26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, बून्दी को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरर्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1763-73 दिनांक 01.09.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, बून्दी के 217 कार्यों हेतु राशि रूपयें 434.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, हिण्डोली के 326 कार्यों हेतु राशि रूपयें 652.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, तालेड़ा के 154 कार्यों हेतु राशि रूपयें 308.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नैनवा के 272 कार्यों हेतु राशि रूपयें 544.00 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, कं0पाटन के 281 कार्यों हेतु राशि रूपयें 562.00 लाख कुल 1250 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 2500.00 लाख (अक्षरे रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

2. आंगनबाड़ी भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरर्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1788 दिनांक 04.09.2025 के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोली के 42 कार्यों हेतु राशि रूपयें 74.70 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बून्दी के 60 कार्यों हेतु राशि रूपयें 125.00 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, कं0पाटन के 99 कार्यों हेतु राशि रूपयें 247.50 लाख, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तालेड़ा के 53 कार्यों हेतु राशि रूपयें 106.00 लाख एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनवा के 39 कार्यों हेतु राशि रूपयें 78.00 लाख कुल 293 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 631.20 लाख (अक्षरे रूपये छः करोड़ ईक्कतीस लाख बीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

3. सामुदायिक भवनों हेतु :-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त सामुदायिक भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरर्थापना हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1788 दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17832877  
eSign 1.0



04.09.2025 के आधार पर पंचायत समिति, बून्दी के 36 कार्यों हेतु राशि रूपयें ३०.०० लाख, पंचायत समिति, के०पाटन के 39 कार्यों हेतु राशि रूपयें 95.00 लाख, पंचायत समिति, तालेडा के 42 कार्यों हेतु राशि रूपयें 98.50 लाख, पंचायत समिति, हिण्डौली के 32 कार्यों हेतु राशि रूपयें 72.50 लाख एवं पंचायत समिति, नैनवा के 34 कार्यों हेतु राशि रूपयें 85.00 लाख कुल 183 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपयें 441.00 लाख (अक्षरे रूपये चार करोड़ इक्तालीस लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कुल 1250 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 2500.00 लाख, कुल 293 आंगनबाड़ी भवनों हेतु राशि रूपयें 631.20 लाख एवं कुल 183 सामुदायिक भवनों हेतु राशि रूपयें 441.00 लाख कुल 1726 कार्यों हेतु राशि रूपयें 3572.20 लाख (अक्षरे रूपये पैंतीस करोड़ बेहतर लाख बीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17832877  
eSign 1.0

- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
02- बाढ़, चक्रवात आदि।  
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना  
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)  
(01)-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]  
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)  
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
  13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
  14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
  15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
  16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
  17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावे।
  18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावे।

(भगवत सिंह)  
शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref No.:  
17832877  
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST  
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।  
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, नैनवा के विद्यालय भवन मरम्मत के प्रस्तावों में अंकित सं. अनुसार 272 कार्यो हेतु राशि रूपये 544.00 लाख स्वीकृत किये गये है।
7. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, बून्दी।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.09.17 16:24:36 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17832877  
eSign 1.0

क्रमांक:- 35

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ8(30)आ.प्र. एवं सहा / प्रस्ताव/बाड/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी के निम्न 35 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति / ग्राम पंचायत	तहसील	क्षतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम	क्षति का मुख्य कारण	एस्टीमेट/एक मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेंट्स	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मो. नं०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पंचायत समिति बून्दी	बून्दी	पंचायत समिति कार्यालय भवन पंचायत समिति बून्दी	पंचायत समिति कार्यालय भवन पंचायत समिति बून्दी	अतिवृष्टि	2.50	पंचायत समिति	विकास अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी	-
2	पंचायत समिति बून्दी	बून्दी	विकास अधिकारी / सहायक अभियन्ता आवास पंचायत समिति बून्दी	विकास अधिकारी / सहायक अभियन्ता आवास पंचायत समिति बून्दी	अतिवृष्टि	2.50	पंचायत समिति	विकास अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी	-
3	मंगाल	बून्दी	राजीव गाँधी सेवा केंद्र मंगाल	राजीव गाँधी सेवा केंद्र मंगाल	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	रामनगर	बून्दी	आजीविका मिशन कोशल केंद्र भवन भवानीपुरा	आजीविका मिशन कोशल केंद्र भवन भवानीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	रामनगर	बून्दी	सामुदायिक भवन भवानीपुरा	सामुदायिक भवन भवानीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	रामनगर	बून्दी	राजीव गाँधी सेवा केंद्र रामनगर	राजीव गाँधी सेवा केंद्र रामनगर	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	रामनगर	बून्दी	सामुदायिक भवन उमरथूना	सामुदायिक भवन उमरथूना	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	मैरपुरा ओझा	रायथल	ग्राम पंचायत भवन मैरपुरा ओझा	ग्राम पंचायत भवन मैरपुरा ओझा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	मैरपुरा ओझा	रायथल	राजीव गाँधी सेवा केंद्र मैरपुरा ओझा	राजीव गाँधी सेवा केंद्र मैरपुरा ओझा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	नीम का खंडा	बून्दी	ग्राम पंचायत कार्यालय नीम का खंडा	ग्राम पंचायत कार्यालय नीम का खंडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	गादेगल	बून्दी	राजीव गाँधी सेवा केंद्र गादेगल	राजीव गाँधी सेवा केंद्र गादेगल	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	लालपुरा	रायथल	पंचायत भवन लालपुरा	पंचायत भवन लालपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	लालपुरा	रायथल	राजीव गाँधी पाठशाला नन्द जी का खंडा	राजीव गाँधी पाठशाला नन्द जी का खंडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	नयागाँव	बून्दी	ग्राम पंचायत भवन नयागाँव	ग्राम पंचायत भवन नयागाँव	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	अजंठा	रायथल	ग्राम पंचायत भवन अजंठा	ग्राम पंचायत भवन अजंठा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	अजंठा	रायथल	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र अजंठा	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र अजंठा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
17	रिहाणा	रायथल	ग्राम पंचायत भवन रिहाणा	ग्राम पंचायत भवन रिहाणा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
18	रिहाणा	रायथल	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र रिहाणा	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र रिहाणा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
19	अन्धडा	रायथल	ग्राम पंचायत भवन अन्धडा	ग्राम पंचायत भवन अन्धडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
20	अन्धडा	रायथल	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र अन्धडा	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र अन्धडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
21	जावटीकल्ला	बून्दी	ग्राम पंचायत भवन जावटीकल्ला	ग्राम पंचायत भवन जावटीकल्ला	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Anil Day Godara  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:55:38 IST  
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:  
17947073

22	जावटीकला	बून्दी	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जावटीकला	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जावटीकला	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
23	धनतरी	बून्दी	राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत धनतरी	राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत धनतरी	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
24	मैरपुरागड	बून्दी	राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत मैरपुरागड	राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत मैरपुरागड	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
25	मैरपुरागड	बून्दी	पुराना ग्राम पंचायत मदन मैरपुरागड	पुराना ग्राम पंचायत मदन मैरपुरागड	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
26	दोलाडा	बून्दी	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र दोलाडा	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र दोलाडा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
27	गरडदा	बून्दी	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र गरडदा	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र गरडदा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
28	आमली	बून्दी	ग्राम पंचायत मदन आमली	ग्राम पंचायत मदन आमली	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
29	आमली	बून्दी	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र आमली	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र आमली	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
30	नमाना	बून्दी	पुराना पंचायत मदन नमाना	पुराना पंचायत मदन नमाना	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
31	उलेडा	बून्दी	ग्राम पंचायत मदन उलेडा	ग्राम पंचायत मदन उलेडा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
32	बन स्टैन्ड	बून्दी	बन स्टैन्ड खटकड प्रिक्तालव	बन स्टैन्ड खटकड प्रिक्तालव	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
33	इन्दिरा रसाई	बून्दी	इन्दिरा रसाई मादून्दा	इन्दिरा रसाई मादून्दा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
34	हटटीपुरा	बून्दी	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हटटीपुरा	मास्त निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हटटीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
35	हटटीपुरा	बून्दी	ग्राम पंचायत हटटीपुरा	ग्राम पंचायत हटटीपुरा	अतिवृष्टि	2.50	सर्वधित ग्राम पंचायत	सर्वधित ग्राम विकास अधिकारी	-
<b>कुल योग</b>						<b>87.50</b>			

सर्वधित ग्राम पंचायत के अधिकारियों को अधीन प्रदान की जाती है :-

स्वी-सु-सर्वधित ग्राम पंचायत में ग्राम निधि एसडीआरएक के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

कार्यक्रमों के लिए निदेशों के अंतर्गत प्रारम्भ कराई तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिनों में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का सुव्यवस्था हो सके।

सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश किया जा रहा है कि उनके पास उपलब्ध संसाधन एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग खिय 2012 के उपबंधों में एसडीआरएक के अन्तर्गत किया जायेगा।

यदि ग्राम पंचायतों में कोई भी कार्य बाधित है, उनकी मरम्मत एसडीआरएक से दायर नहीं है।

अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे एसडीआरएक के मापदण्डों का पालन करके कार्यवाही करें।

कार्यवाही के दौरान यदि कोई भी समस्या आये, तो तुरन्त ही निर्देशित अधिकारियों से संपर्क किया जाये।

स्वी-सु-सर्वधित ग्राम पंचायत में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना की दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी विधायक/निर्देशों के निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही के दौरान यदि कोई भी समस्या आये, तो तुरन्त ही निर्देशित अधिकारियों से संपर्क किया जाये।

स्वी-सु-सर्वधित ग्राम पंचायत में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना की दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी विधायक/निर्देशों के निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित करने का सुव्यवस्था हो सके।

यदि ग्राम पंचायतों में कोई भी कार्य बाधित है, उनकी मरम्मत एसडीआरएक से दायर नहीं है।

अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे एसडीआरएक के मापदण्डों का पालन करके कार्यवाही करें।

कार्यवाही के दौरान यदि कोई भी समस्या आये, तो तुरन्त ही निर्देशित अधिकारियों से संपर्क किया जाये।

(अभि. 11/11)

जिला: 11/11

Validity unknown: Signature valid

Digitally signed by  Anil Kumar Gada  
Designation: Collector, B.D. District  
Magistrate  
Date: 2025.09.25 10:53:33 IST  
Reason: Approved

क्रमांक:-सहायता / 2025 / 1975- 97

दिनांक:- 24/9/25

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / लाखेरी / के०पाटन / तालेडा
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी
- 5 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी / तालेडा / केशोरायपाटन / हिण्डोली / नैनवां
- 7 तहसीलदार बून्दी / हिण्डोली / नैनवां / रायथल / इन्द्रगढ / के०पाटन / तालेडा
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Anil Day Godara  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:55:38 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17947073

## कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 36

दिनांक:- 24/9/25

### प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ 8(30)आ.प्र. एवं सहा / प्रस्ताव / बाड / 2025 / RAJKA Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशोरायपाटन के निम्न 38 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त संपत्ति का नाम	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेंसी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मो० न०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र माधोराजपुरा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र करवाला की झोपडियां	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	के.पाटन	पंचायत घर	पंचायत भवन लेसरदा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	के.पाटन	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन लेसरदा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र छत निर्माण कार्य रूडी	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	के.पाटन	पंचायत घर	पुरानी ग्राम पंचायत भवन की छत मरम्मत कार्य रूडी	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	के.पाटन	पंचायत घर	ग्राम पंचायत की दुकाने रूडी	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र भीया	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	के.पाटन	पंचायत घर	पुराना पंचायत भवन (वर्तमान में अस्थायी पुशु चिकित्सालय) चितावा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	के.पाटन	पंचायत घर	ग्राम पंचायत भवन बालोद	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र चरडाना	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	के.पाटन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र हिगोनिया	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	के.पाटन	पंचायत घर	पुराना ग्राम पंचायत भवन रोटेदा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	के.पाटन	सामुदायिक भवन	यात्री प्रशिक्षालय भवन झालीजी का बराना	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	के.पाटन	पंचायत घर	ग्राम पंचायत भवन मरम्मत कार्य जयरथल	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	रायथल	महिला मण्डल	संकुल भवन मायजा	भारी वर्षा	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by A. Jay Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:57:01 IST  
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:  
17947075



उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 स्वीकृतियों की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
  - 2 कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
  - 3 सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
  - 4 वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
  - 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
  - 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरूत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्स में दिये गये प्राक्धान अनुसार हो एवं कोई भी नव निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
  - 7 स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
  - 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्राक्धान अनुसार ही करवाया गया है।
  - 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेन्सी, संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)  
जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:-सहायता/2025/1998-2020

दिनांक:- 24/9/25

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी
- 5 विद्युत अधिकारी, पंचायत समिति, के0पाटन
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी/तालेडा/केशोरायपाटन/हिण्डोली/नैनवां
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:57:01 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17947075

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 37

दिनांक:- 24.9.25

प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ. प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तालेड़ा के निम्न 42 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	वतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	वतिग्रस्त संपत्ति का नाम/स्थान	वति का मुख्य कारण	एसबीआरएफ मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेंसी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मो० न०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	तालेड़ा	अकतासा	पुराना पंचायत भवन अकतासा	पुराना पंचायत भवन अकतासा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	तालेड़ा	अल्फानगर	पुराना पंचायत भवन अल्फानगर	पुराना पंचायत भवन अल्फानगर	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	तालेड़ा	बडून्दा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बडून्दा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बडून्दा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	तालेड़ा	बाजड	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बाजड	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बाजड	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	तालेड़ा	बल्लोप	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बल्लोप।	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बल्लोप।	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	तालेड़ा	बरूधन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बरूधन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र बरूधन	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	तालेड़ा	डावी	पुराना पंचायत भवन डावी	पुराना पंचायत भवन डावी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	तालेड़ा	देहित	राजीव गांधी सेवा केन्द्र देहित	राजीव गांधी सेवा केन्द्र देहित	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	तालेड़ा	देहित	पंचायत भवन देहित	पंचायत भवन देहित	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	तालेड़ा	देलून्दा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र देलून्दा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र देलून्दा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	तालेड़ा	धनेश्वर	राजीव गांधी सेवा केन्द्र धनेश्वर	राजीव गांधी सेवा केन्द्र धनेश्वर	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	तालेड़ा	डोरा	अटल सेवा केन्द्र डोरा	अटल सेवा केन्द्र डोरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	तालेड़ा	गणेशपुरा	सामुदायिक भवन गणेशपुरा	सामुदायिक भवन गणेशपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	तालेड़ा	गणेशपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र गणेशपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र गणेशपुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	तालेड़ा	गोपालपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोपालपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोपालपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	तालेड़ा	गोपालपुरा	सामुदायिक भवन गोपालपुरा	सामुदायिक भवन गोपालपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
17	तालेड़ा	गोपालपुरा	पुराना पंचायत भवन गोपालपुरा	पुराना पंचायत भवन गोपालपुरा	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
18	तालेड़ा	जाखमूण्ड	राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखमूण्ड	राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखमूण्ड	अतिवृष्टि	2.00	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
19	तालेड़ा	जमीतपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र जमीतपुरा	राजीव गांधी सेवा केन्द्र जमीतपुरा	अतिवृष्टि	2.5	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:58:06 IST  
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:  
17947077



- 2 कार्यकारी एजेन्सी कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावै तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- 3 सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संचारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- 4 वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- 5 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
- 6 केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नॉम्स में दिये गये प्राक्धान अनुसार हो एवं कोई भी नव निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- 7 स्वीकृत कार्यो के संबंध में लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 8 कार्य उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्राक्धान अनुसार ही करवाया गया है।
- 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अत्यकालीन निधिदाएँ आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 10 कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी, सम्बन्धित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)  
जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:-सहायता/2025/2021-2049

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी
- 5 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बून्दी
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी/तालेडा/केशोरायपाटन/हिण्डोली/नैनवां
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:58:06 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
17947077

# कार्यालय जिला कलेक्टर, बुन्दी

क्रमांक- 38

दिनांक- 24/9/25

## प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबंधन सहायता एवं सार्वजनिक सुव्यवस्था विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एम.8(36)आ.2 एवं एम. / प्रशासन / आ.3 / 2025 / RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक 17.09.2025 से अनुसंधान में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं सार्वजनिक सुव्यवस्था को संबंधित किये गये विकास अधिकारी प्रशासन समिति, दिनांकी के निम्न 32 कार्य की तात्कालिक सम्पन्न हेतु निम्न अधिलेख गती के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति क्रमांक एम. 2245-02-107-02-01-21 में जारी की जाती है -

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अभिप्रेत समिती का प्रस्ताव	अभिप्रेत समिती का नाम	स्वी. का प्रकार	सम्पन्न करने की अनुमानित लागत (रु.)	Restoration हेतु विधिगत कार्यवाही	Restoration हेतु आवश्यक अधिकारी का नाम/पद/आयु/पा.	दिनांक
1	इलाक़ा सहायता	विद्यमान सड़क	सड़क परियोजना	अतिरिक्त	200000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
2	उत्तर	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
3	दीवार	विद्यमान सड़क	सड़क दीवार की मरम्मत	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
4	दीवार	नया दीवार की मरम्मत	नया दीवार की मरम्मत	अतिरिक्त	200000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
5	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	100000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
6	आवारा	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
7	आवारा	सामुदायिक सड़क सहायता	सामुदायिक सड़क सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
8	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
9	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
10	आवारा	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
11	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
12	आवारा	विद्यमान सड़क	विद्यमान सड़क	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
13	आवारा	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
14	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	200000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
15	आवारा	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
16	आवारा	पुलक सहायता	पुलक सहायता	अतिरिक्त	250000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
17	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	100000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-
18	आवारा	आवारा सहायता	आवारा सहायता	अतिरिक्त	100000	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन	सर्वोपरि प्रा. प्रशासन अधिकारी	-

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Godara  
 Designation: District & District  
 Magistrate  
 Date: 2025.09.24 10:59:32 IST  
 Reason: Approved



19	छाव कानयागाव	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
20	काछोला	पुराना पंचायत भवन	पुराना पंचायत भवन	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
21	काछोला	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
22	काछोला	विद्यालय भवन	राप्रवि चावण्डिया	अतिवृष्टि	200000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
23	काछोला	आंगनवाडी केन्द्र काछोला	आंगनवाडी केन्द्र काछोला	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
24	काछोला	सामुदायिक भवन ओधन्दा	सामुदायिक भवन ओधन्दा	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
25	काछोला	सामुदायिक भवन रेगर मोहल्ला काछोला	सामुदायिक भवन रेगर मोहल्ला काछोला	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
26	काछोला	सामुदायिक भवन भीलो का देवजी काछोला	सामुदायिक भवन भीलो का देवजी काछोला	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
27	काछोला	सामुदायिक भवन बावडीखंडा	सामुदायिक भवन बावडीखंडा	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
28	काछोला	सामुदायिक भवन पाल के देवनारायण के पास काछोला	सामुदायिक भवन पाल के देवनारायण के पास काछोला	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
29	पेच की बावडी	पुराना पंचायत भवन	पुराना पंचायत भवन	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
30	सहसपुरिया	पुराना पंचायत भवन	पुराना पंचायत भवन	अतिवृष्टि	250000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
31	सांघतगढ	विद्यालय भवन	राप्रवि खोडी	अतिवृष्टि	200000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
32	सहसपुरिया	विद्यालय भवन	राउमावि सहसपुरिया	अतिवृष्टि	200000	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
<b>कुल योग</b>					<b>7250000</b>			

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- स्वीकृतियों का राज्य आपदा मॉन्टरिंग निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। कार्यकारी एजेंसी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास उपलब्ध संचारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- वे कार्य जो डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- आपदा प्रबंधन विभाग अद्यपुर् द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जाये।
- स्वीकृत कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो एवं कोई भी नव निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जावे।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व विधायित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्य उपरान्त उपरोक्त स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by A. May Godara  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.25 10:59:32 IST  
Reason: Approved

- 9 स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं प्रमाणित बिल संबंधित कार्यकारी एजेंसी,
- 10 संबंधित पंचायत समिति के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को एवं कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी जांच उपरान्त भुगतान की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को भिजवाये जाये।

(अक्षय गोदारा)  
जिला कलक्टर, बून्दी

दिनांक:- 24/9/25

क्रमांक:- सहायता/2025/2043-2065

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी
- 3 उपखण्ड अधिकारी बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/लाखेरी/के0पाटन/तालेडा
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी
- 5 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बून्दी/तालेडा/केशोरायपाटन/हिण्डोली/नैनवां
- 7 तहसीलदार बून्दी/हिण्डोली/नैनवां/रायथल/इन्द्रगढ/के0पाटन/तालेडा
- 8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर, बून्दी

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by A. Jay Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 10:59:32 IST  
Reason: Approved

## कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:- 40

दिनांक:- 24/9/25

### प्रशासनिक स्वीकृति

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक: एफ.8(30)आ.प्र. एवं सहा. /प्रस्ताव/बाड/2025/RAJKAJ Ref No. 17832877 दिनांक: 17.09.2025 के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित किये गये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां के निम्न 34 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245-02-107-02-01-21 से जारी की जाती है :-

क्र.स.	तहसील	क्षतिग्रस्त संपत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान	क्षति का मुख्य कारण	एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत राशि (लाखों में)	Restoration हेतु विहित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मो० न०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नैनवां	सामुदायिक भवन	अरण्या	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
2	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	गभीरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
3	नैनवां	पंचायत भवन	दुगारी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
4	नैनवां	सामुदायिक भवन	मेला स्थल तेजाजी महाराज के पास दुगारी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
5	नैनवां	पुराना पंचायत भवन	बालाजी के पास दुगारी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
6	नैनवां	पुराना पंचायत भवन	नाईयों की पीपल के पास दुगारी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
7	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	बालापुरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
8	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	डोकून	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
9	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	सीसोला	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
10	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	पीपल्या	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
11	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	गुडादेवजी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
12	नैनवां	यात्री प्रतिष्ठालय	माताजी के पास बीजलबा सुवानियां	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
13	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	मंरा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
14	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	सादेडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
15	नैनवां	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	डोडी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
16	नैनवां	वाचनालय भवन	बासी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
17	नैनवां	सामुदायिक भवन	पुरानी पंचायत बांसी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Anil Day Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.24 11:00:16 IST  
Reason: Approved



RajKaj Ref No.:

G:\Flood 2025 Repair 17947084 Parishad\ZP AS 2025-26

18	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	बासी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
19	नैनवा	पुराना पशु चिकित्सालय	बासी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
20	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	गाणी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
21	नैनवा	ग्राम पंचायत भवन	आंतरदा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
22	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	समीधी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
23	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	कंधूदा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
24	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	फुलेता	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
25	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	करवर	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
26	नैनवा	ग्राम पंचायत भवन	तलवास	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
27	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	जजावर	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
28	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	गुदासदावर्तिया	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
29	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	भजनेरी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
30	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	कोलाहेडा	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
31	नैनवा	ग्राम पंचायत भवन	खजूरी	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
32	नैनवा	राजीव गांधी सेवा केंद्र	बामनगाव	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
33	नैनवा	सामुदायिक भवन	बामनगाव	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
34	नैनवा	वारंदावारी राजीव गांधी सेवा केंद्र	सहण	अतिवृष्टि	2.50	संबंधित ग्राम पंचायत	संबंधित ग्राम विकास अधिकारी	-
					<b>85.00</b>			

उक्त रकम प्रत्यावा की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- स्वीकृतिवा की राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावे तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सकें।
- सम्बन्धित विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में से राशि का उपयोग लिया जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ का उपयोग लिया जायेगा।
- व कार्य जा डिफेक्ट लाईबिलिटी समय के तहत आते हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- प्राप्य प्रकल्प विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जाय।
- उपरोक्त तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुनरुत्थान के कार्य ही करवाये जाय, जो एसडीआरएफ नामों में दिव्य मद प्राप्ति अनुसार हो एवं कोई भी नव निर्माण कार्य शामिल नहीं किया जाय।
- स्वीकृत कार्यों के संबंध में लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश तत्संबन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाय।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by A. Jay Godara  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.25 11:00:16 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

G:\Flood 2025 Repair\PP\2025\arishad\ZP AS 2025-26

